

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**श्रम विभाग**  
**महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर**

**// अधिसूचना //**

नया रायपुर, दिनांक 18/11/2014

क्रमांक एफ 10-11/2014/16 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 14 की उपधारा (1) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी में कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट कर्मकारों में निम्नलिखित प्रवर्ग को असंगठित कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है:-

क्र.	कर्मकार का नाम
53	ठेका मजदूर (छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगे ठेका मजदूर एवं ESI एवं भविष्य निधि योजना में शामिल ठेका मजदूरों को छोड़कर)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(जी.आर.मालवीय)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

नया रायपुर, दिनांक 18/11/2014

पृष्ठां. क्रं. एफ 10-11/2014/16  
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मुख्यमंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
4. सचिव, सह श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर
5. कलेक्टर, जिला.....(छ.ग.)
6. उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.....(छ.ग.)

निरंतर.....2

8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.....(छ.ग.)
9. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग